रजिस्टर्ड नं० ल० 33/13-14/93.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 12 मार्च, 1993/21 फाल्गुन, 1914

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय जिलाधीश, बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

बिलासपुर, 5 मार्च, 1993

सं० बी० एल० पी०-पंच-7-36/73-II-433-437.—क्योंकि श्री श्रवण राम, प्रधान, ग्राम पंचायत गाहर, विकास खण्ड घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ने निर्वाचन विभाग की अधिसूचना सं० 9-इलैक-1/90, दिनांक 18-1-1992, जिसके अन्तर्गत जिला बिलासपुर की ग्राम पंचायतों के पदाधिकारियों के नामों का प्रकाशन हुआ है, को बिना देखे ग्राम पंचायत गाहर के वार्ड नं० 5-गाह के लिये वास्तविक निर्वाचित पंच श्री कुग्गू राम सुपुत्र श्री गोपाला, गांव टेहडवीं के स्थान पर गैर-निर्वाचित व्यक्ति श्री रूप लाल को पंच पद की शपथ दिलाकर प्रधान जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहते हुये गैर-जिम्मेदारी तथा लापरवाही का सबूत दिया है;

और क्योंकि उक्त आरोप पर श्री श्रवण राम को ग्राम पंचायत गाहर के प्रधान पद से निलम्बन हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 77 के अनुसार इस कार्यालय के आदेश सं० बीएलपी-पंच-7-36/73-11-27-29, दिनांक 6-1-93 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस दिया गया था। उक्त प्रधान का उक्त कारण बताओ नोटिस का उत्तर जांचने पर असंतोषजनक पाया गया है क्योंकि सम्बंधित प्रधान यह सिद्ध नहीं कर सके कि उन्होंने अधिसूचना को देखे बिना क्यों किसी गैर-निर्वाचित व्यक्ति को शपथ दिलाई है।

अतः हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन मैं, तरूण श्रीधर, भा0प्र0से0, जिलाधीश बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश श्री श्रवण राम को उक्त आरोप के दृष्टिगत इन आदेशों के जारी होने की तिथि से ग्राम पंचायत गाहर के प्रधान पद से तुरन्त निलम्बित करता हूं। यह भी आदेश देता हूं कि श्री श्रवण राम ग्राम, पचायत गाहर के प्रधान पद का कार्यभार उप-प्रधान, ग्राम पंचायत गाहर को सौंपेंगे।

तरुण श्रीधर,
जिलाधीश, बिलासपुर,
जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।